

राज्य योजना आयोग

मध्य प्रदेश

विंध्याचल भवन , भोपाल

दूरभाष कार्यालय 0755-2551564, 2552048

क्रमांक 348 /रा.यो.आ./भंडार/2019

भोपाल दिनांक : 14/6/2019

अनुपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु तृतीय निविदा विज्ञप्ति

कार्यालय राज्य योजना आयोग में पुराने फर्नीचर, वाहन के टायर, अलमारी एवं अन्य सामग्री के बिक्री हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। अनुपयोगी सामग्री की सूची 03 Group (A to C) में विभाजित की गई है जिसके अंतर्गत इच्छुक फर्म अपनी आवश्यकतानुसार अनुपयोगी सामग्रियों की दरें अलग-अलग Group Wise प्रस्तुत की जाना अनिवार्य है। इच्छुक फर्म रुपये 100/- मात्र का शुल्क जमा कर निविदा फार्म कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म के साथ सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, म.प्र. के नाम से प्रतिभूति राशि रु. 2500/- (दो हजार पाँच सौ मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने पर ही निविदा स्वीकार की जावेगी। समस्त अनुपयोगी सामग्री कार्यालयीन समय में दिनांक 24.06.2019 तक देखी जा सकती है एवं अनुपयोगी सामग्री की सूची एवं अन्य जानकारी कार्यालय की वेबसाइट www.mpplanningcommission.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। निविदाएं दिनांक 26.06.2019 को अपरान्ह 03:00 बजे तक स्वीकार किये जावेंगे एवं दिनांक 26.06.2019 को अपरान्ह 04:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोले जावेंगे। उच्चतम दर स्वीकृत होने पर आदेशित फर्म को अनुपयोगी सामग्री के विक्रय की मूल्य राशि आदेशित दिनांक से 07 दिवस के अंदर जमा कराना होगी अन्यथा उस फर्म ए द्वारा जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने संबंधी अंतिम निर्णय सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग म.प्र. का होगा।

सहायक सलाहकार
राज्य योजना आयोग
मध्यप्रदेश

कार्यालय की अनुपयोगी सामग्री की सूची

कं.	सामग्री का नाम	संख्या	फर्म द्वारा प्रस्तुत करें
Group A			
1	टाइपराइटर विथ इलेक्ट्रॉनिक	09 नग	
2	डुप्लीकेटिंग मशीन शौरी	01 नग	
3	डुप्लीकेटिंग मशीन गेस्टनर	01 नग	
4	टेलीफोन	05 नग	
Group B			
5	कुर्सी	10 नग	
6	स्टील ग्लास अलमारी	02 नग	
7	स्टील अलमारी लॉर्ज	02 नग	
8	वुडेन अलमारी	03 नग	
9	सोफा सेट 3 सीटर	02 नग	
10	सोफा सेट एक सीटर	04 नग	
11	बोर्ड	06 नग	
12	सूची बोर्ड	02 नग	
13	साईकिल	01 नग	
Group C			
14	टायर	49 नग	

नोट :-

- उक्त सामग्री की संख्या में आंशिक परिवर्तन संभव हो सकता है जिस स्थिति में रखी है वैसी स्थिति में देखी जा सकेगी।
- अंतिम निर्णय सदस्य सचिव राज्य योजना आयोग का होगा।
- सामग्री उठाने के पूर्व समस्त राशि जमा करनी होगी एवं सामग्री राशि जमा करने के एक सप्ताह के भीतर उठाना अनिवार्य होगा।